1×1 = 1.00
5×1 = 5.00
6.00

प्रतिलिपि प्रार्थना– पत्र देने की तिथि	प्रतिलिपि तैयार होने की तिथि	प्रतिलिपि जारी होने की तिथि	प्रतिलिपि बनाने वाले का हस्ताक्षर
13-07-2022	13-07-2022	13-07-2022	[illegible] 13.7.2022

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 13-07-2022 ——————————न्यायालय उपजिलाधिकारी आलापुर, अम्बेडकरनगर वाद संख्या: T202204040400220 धारा:– 80 उ0प्र0 रा0 सं0 ——ग्राम:– [illegible] ——————परगना:– [illegible] ——तहसील:– आलापुर, जिला:– अम्बेडकरनगर व उन्वान मुकदमा [illegible] बनाम ———— [illegible] आदि ——।
[illegible]

नोट:– प्रमाणित प्रति तैयार है

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :अम्बेडकरनगर,तहसील :आलापुर
वाद संख्या :-220/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202204040400220
सजन सिंह मेमोरियल टस्ट ग्राम व पोस्ट-कम्हरिया दवारा संस्थापक एव अध्यक्ष सुरेश सिंह बनाम अनुरुद्ध आदि
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मौजा—पाठकपुर, परगना—विड़हर

निर्णय

प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0रा0संहिता 2006 सजन सिंह मेमोरियल ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट कम्हरिया द्वारा संस्थापक एवं अध्यक्ष सुरेश सिंह पुत्र स्व0 श्री हरिमोहन सिंह निवासी ग्राम कम्हरिया परगना विड़हर तहसील आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा खतौनी सन् 1425 ता 1430 फसली खाता संख्या 007 के गाटा संख्या 181/1.817हे0 में से रकबा 0.595हे0 स्थित ग्राम पाठकपुर परगना विड़हर तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर के बावत् प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भूमि उपरोक्त में आराजी के जुज अंश का ट्रस्ट के नाम जरिए दान पत्र दिनांक—13.08.2021 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर काबिज दखील है। आराजी निजाई का प्रयोग वाणिज्यिक एवं गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग में किया जा रहा है, जिसके कारण उपरोक्त विधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाना समीचीन है। आराजी में विशिष्ट एवं गैर कृषि प्रयोजन के प्रयोग में किया जा रहा है, जो हर किस्म से साफ—पाक है तथा ग्राम समाज के पट्टे की भूमि नहीं है एवं सीलिंग से मुक्त भूमि है तथा मौके पर पूर्णरूपेण अकृषिक है। प्रार्थी उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 में अकृषिक दर्ज कराना चाहता है। स्थलीय जॉच कराकर भूमि उपरोक्त को अकृषिक दर्ज किया जाय।

प्रार्थी/वादी के उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जॉच तहसीलदार आलापुर से कराकर आख्या दिनांक—30.12.2021 प्राप्त किया गया, जो पत्रावली पर उपलब्ध हैं। तहसीलदार आलापुर द्वारा संस्तुति सहित राजस्व निरीक्षक व क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रेषित आख्या क्रमशः दिनांक—18.12.2021 व 23.12.2021 में यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम पाठकपुर परगना विड़हर तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर की खतौनी सन् 1425 ता 1430फ0 खाता संख्या 007 गाटा संख्या 181/1.817हे0 में से रकबा 0.595हे0 पर सजन सिंह मेमोरियल ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट कम्हरिया द्वारा संस्थापक एवं अध्यक्ष सुरेश सिंह पुत्र स्व0 श्री हरिमोहन सिंह के नाम सह खातेदार के रूप में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। आवेदक द्वारा दानकर्ता सुरेश सिंह व अरविन्द सिंह पुत्रगण श्री हरिमोहन सिंह व श्रीमती प्रभा सिंह पत्नी श्री अरविन्द सिंह निवासी ग्राम कम्हरिया व वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र सूर्यनाथ सिंह निवासी ग्राम प्रतापपुर छतवारा परगना अतरौलिया तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ ने दान ग्रहीता सजन सिंह मेमोरियल ट्रस्ट ग्राम कम्हरिया द्वारा संस्थापक एवं अध्यक्ष सुरेश

13/07/2022

सिंह पुत्र श्री हरिमोहन सिंह निवासी ग्राम के पक्ष में रकबा 0.595है0 एक किता रजिस्ट्री किया गया है। उक्त गाटे में से रकबा 0.595है0 पर बाउन्ड्रीवाल व दो मंजिला मकान बनवाकर उपरोक्त ट्रस्ट का संचालन किया जा रहा है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य एवं कुक्कुट पालन आदि कार्य नही किया जाता है। बल्कि बतौर आबादी प्रयोग किया जा रहा है। आवेदक का नाम दर्ज है। भूमि उपरोक्त हर किस्म से पाक साफ व बन्धक मुक्त है। गॉवसभा सीलिंग पट्टे की भूमि नही है। पूर्णरूपेण अकृषिक है। कृषि कार्य से इतर दर्ज किये जाने हेतु रिपोर्ट संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तहसीलदार आलापुर की आख्या दिनांक-30.12.2021 का परीक्षण किया गया, जिससे स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध उद्धरण खतौनी ग्राम पाठकपुर सन् 1425 ता 1430 फसली खाता संख्या 007 के गाटा संख्या 181/1.817है0 में से रकबा 0.595है0 स्थित ग्राम पाठकपुर परगना विडहर तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर परगना विड़हर तहसील आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर अपने सम्पूर्ण अंश 0.595है0 से दानकर्ता सुरेश सिंह व अरविन्द सिंह पुत्रगण श्री हरिमोहन सिंह व श्रीमती प्रभा सिंह पत्नी श्री अरविन्द सिंह निवासी ग्राम कम्हरिया व वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र सूर्यनाथ सिंह निवासी ग्राम प्रतापपुर छतावारा परगना अतरौलिया तहसील बूढ़नपुर जिला आजमगढ़ का नाम निरस्त करके दानग्रहीता सजन सिंह मेमोरियल ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट कम्हरिया द्वारा संस्थापक एवं अध्यक्ष सुरेश सिंह पुत्र स्व0 श्री हरिमोहन सिंह निवासी ग्राम कम्हरिया का नाम पंजीकृत दानपत्र दिनांक-13.08.2021 क्रम सं0 3169 के आधार पर अंकित हैं। जिसमे दान ग्रहीता का रक्बा 0.595है0 पर दो मंजिला मकान व सहन व बाउन्ड्रीवाल बनाकर ट्रस्ट व्यावसायिक रूप मे प्रयोग किया जा रहा है। उक्त गाटे के रकबा 0.595है0 भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है। बल्कि व्यावसायिक रूप में प्रयोग हो रहा है। विभाजन शुल्क 1000रू0 ट्रेजरी चालान संख्या 01 दिनांक-12.04.2022 की प्रति बैंक ऑफ बड़ौदा रामनगर में जमा कर दाखिल किया गया है। व्यावसायिक होने के कारण कलेक्टर महोदय अम्बेडकरनगर की निर्धारित दर के अनुसार भूमि का मूल्यांकन 0.595है0 का 57,12,000रू0 होता है। जिसका 1 प्रतिशत की दर से शुल्क रूपया 57,120(सत्तावन हजार एक सौ बीस) न्याय शुल्क ट्रेजरी चालान सं0 02 दिनांक-12.04.2022 की प्रति व 1 प्रतिशत घोषणा शुल्क रूपया 57,120(सत्तावन हजार एक सौ बीस) ट्रेजरी चालान सं0 03 दिनॉक-12.04.2022 की प्रति बैंक ऑफ बड़ौदा रामनगर में जमा कर दाखिल किया गया है। जो संलग्न पत्रावली है। इसलिए अन्य

13/02/2022

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :अम्बेडकरनगर,तहसील :आलापुर
वाद संख्या :-220/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202204040400220
सजन सिंह मेमोरियल टस्ट ग्राम व पोस्ट–कम्हरिया दवारा संस्थापक एव अध्यक्ष सुरेश सिंह बनाम अनुरुद्ध आदि
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

खातेदारों की सहमति शपथ पत्र के रूप में संलग्न पत्रावली है। अन्य खातेदारों में से किसी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है। इस प्रकार उक्त भूमि व्यावसायिक रूप में प्रयोग किये जाने के कारण उपरोक्त धनराशि अदा किया जा चुका है, जिसको अकृषिक भूमि घोषित/दर्ज किया जाना उचित पाया जाता है। तद्नुसार प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0रा0संहिता 2006 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम पाठकपुर परगना बिड़हर तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर की खतौनी सन् 1425 ता 1430 फसली खाता संख्या 007 के गाटा संख्या 181/1.817हे0 में से रकबा 0.595हे0 सजन सिंह मेमोरियल ट्रस्ट ग्राम कम्हरिया द्वारा संस्थापक एवं अध्यक्ष सुरेश सिंह पुत्र स्व0 हरिमोहन सिंह निवासी ग्राम को लगान परता से मुक्त करते हुये अकृषिक घोषित/दर्ज किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो। इस आदेश की प्रमाणित एक प्रति उप निबन्धक आलापुर को भेजी जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
दिनॉक:–13.07.2022

(रोशनी यादव)
उप जिलाधिकारी,
आलापुर,अम्बेडकर नगर।

मिलानकिया 13.7.2022
अक्षु लगाया 600
स्वाल नं. 577

True Copy
R.A
Dated 13.7.2022
Reader to S.D.M. Alapur

न्यायालय उप जिलाधिकारी / सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी आलापुर, अम्बेडकरनगर।

भानमती बनाम सरकार
धारा 143 ज0वि0अधि0।
ग्राम पाठकपुर परगना बिड़हर।
तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर।
वाद संख्या 4178 / 2010
तारीख फैसला 05.07.2010

परवाना अमलदरामद

चकबन्दी अधिकारी
आलापुर

उपरोक्त वाद मे आदेश दिया जाता है कि ग्राम पाठकपुर परगना बिड़हर तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर की भूमि गाटा संख्या 4 व 34 रकबा 1.108हे0 व 0.878हे0 जो भानमती पत्नी रामा के नाम अंकित है को, ज0वि0अधि0 की धारा 143 के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। वाद अमलदरामद परवाना की एक प्रति इस न्यायालय को वापस की जाय।

उप जिलाधिकारी / सहा0 कलेक्टर(प्रथम श्रेणी)
आलापुर– अम्बेडकरनगर

मिलान किया 14/1/2021
शब्द लगभग 100
सवाल नं० - 345

True Copy
14/1/2021